UPJB010034882026

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा
## पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–897/2026**

**फैज** आयु करीब 25 वर्ष पुत्र स्व 0 आरिफ, निवासी मौहल्ला नल नई बस्ती अमरोहा, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–155/2026
धारा–109,61(2) व 351(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–अमरोहा नगर, जिला अमरोहा।

**जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण**

**दिनांकः 04.06.2026**

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक /अभियुक्त **फैज** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को वादी मुकदमा **शाने आलम** के द्वारा थाना अमरोहा नगर में प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि कुछ दिन पहले आतीफ की बहन निदा ने उसके भाई जाने आलम के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसके भाई से निकाह किया था। इसी बात से आतीफ व उसके परिवार वाले उनसे रंजिश रखते थे। दिनांक 29.04.2026 को समय करीब 7:00 शाम को उसके पिता मौबीन अहमद, जो राजू की ट्रांसपोर्ट किसान पैट्रोल पम्प के पास बैठे हुये थे कि तभी अचानक आतीफ, फैज, मन्नान व शब्बू एक राय होकर वहाँ आ गये और आते ही पुरानी रंजिश के चलते आतीफ उपरोक्त ने लोहे की चकरी, जो डण्डे में लगी थी, से जान से मारने की नीयत से वार किया तथा फैज, मन्नान व शब्बू कह रहे थे कि मोबीन को आज जान से मार देते हैं। शोर सुनकर भीड़ इकटठा होते देख मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उसे उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसने चोटिल को जान से मारने की नीयत से कोई मारपीट नहीं की व न ही जान से मारने की धमकी दी। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। चोटिल को कोई प्राण घातक चोट नहीं आयी है, जो चोटें आयी हैं वह साधारण प्रकृति की हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी भूमिका केवल धमकी देने की बतायी गयी है। वह दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 29.04.2026 की समय करीब 07:00 बजे शाम की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.04.2026 को समय 01:07 बजे दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक व सह–अभियुक्तगण द्वारा यह कहने पर कि मोबीन को आज जान से मार देते हैं, सह–

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.04 17:03:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त आतीफ द्वारा डण्डे में लगी लोहे की चकरी से जान से मारने की नीयत से वार करने व सभी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने का आरोप है।

**06.** केस डायरी के पर्चा सं०–01 दिनांकित 30.04.2026 में चोटिल मोबीन द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 180 भारतीय न्याय संहिता में आवेदक व सह–अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देते हुये एक राय होकर आतीफ, फैज, मन्नान व शब्बू द्वारा लोहे की चकरी, डण्डों व लात–घूसों से मारपीट करने का कथन किया गया है।

**07.** केस डायरी में संलग्न चोटिल मोबीन की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे 08 चोटें, जिनमें से 02 चोटें फटे हुये घाव की व अन्य चोटें नीलगू की आना पायी गयी हैं तथा चोटिल की पूरक आख्या के अनुसार उसकी बायीं तरफ की आठवी व नवी पसली में फ्रेक्चर होना पाया गया है तथा चोट नं0–1 व 6 साधारण प्रकृति की एवं पसली वाली चोट नम्बर–7 गंभीर प्रकृति की होना पाया गया है।

**08.** बहस के समय वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मोबाईल फोन पर एक वीडियो दिखायी गयी है, जिसमें लोहे की छड़ (चकरी) से सह–अभियुक्त आतीफ द्वारा चोटिल पर वार करना बताया गया है। आवेदक की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कोई उपकरण बरामद होना नहीं दर्शाया गया है। आवेदक **एक माह** से अधिक से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों देखते हुए, प्रश्नगत मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त **फैज** की ओर से वर्तमान मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अंकन 50,000/–(**पचास हजार**) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1–आवेदक विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

2–आवेदक गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3–आवेदक विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4–आवेदक, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5–मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–**04.06.2026**

**( विवेक )**
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक